न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-84/2016

श्रीजी ट्रेडक्स प्रा0लि0 322 नेव सराय, नई दिल्ली 68 जरिये मैनेजिंग डाईरेक्टर श्री विनोद केडिया पुत्र ओमप्रकाश केडिया जाति महाजन निवासी 322 नेव सराय नई दिल्ली-110068

---अपीलान्ट---

---बनाम---

रेणू केडिया तथाकथित पत्नी विनोद केडिया महाजन निवासी ए-1738 सैकण्ड फ्लोर ग्रीन फिल्ड कालोनी फरीदाबाद§ हरियाणा§§मूल दावा के अनुसार§

--रेस्पोडेन्ट---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
24-6-2016 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ।
---0---

उपस्थिति

1-श्री मनोजकुमार शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री महेन्द्रकुमार कुमावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 27.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया/रेस्पपेडेन्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व विक्रय पत्र को निरस्त कराने का पेश किया ।दावे में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया । जिस पर सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ~~ए~~ वादीया का दावा विधि द्वारा वर्जित होने से दिनांक 24-6-2016 को खारिज किया गया । दावा में स्वयं रेणू केडिया ने जमीन दिनांक 20-1-2009 को स्वेच्छा से प्रतिफल लेकर श्री जी ट्रेडर्स को विक्रय कर दी जिसका नामा0सं0 607 दिनांक 5-10-2009 भरा गया । इस विक्रय पत्र को निरस्त कराये जाने के लिये दिवानी दावा सं0- 63/2009 तथा अस्थाई

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

0000000

निषेधाज्ञा का, प्रार्थना पत्र सं0- 31/2009 पेश किया । इसके बाद जिला न्यायालय झुन्झुनू की अदालत से अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक-। झुन्झुनू की अदालत में हस्तान्तरित हुआ । जिसको वादिया ने स्वयं हाजिर होकर दिनांक 11-8-2010 को खारिज करवा लिया ।इन सभी तथ्यों को छिपाते हुये अदालत मातहत में धोखा करते हुये मिथ्या साक्ष्य के आधार पर यह दावा पेश किया । जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा आदेश-7 नियम-11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर वादिया का दावा खारिज कर दिया गया । वादिया अदालत मातहत में झुठे तथ्य, मिथ्या साक्ष्य, झुठे दस्तावेज पेश कर मिथ्या दावा पेश कर प्रार्थी को परेशान किया तथाअपराधिक कृत्य किया जिसके लिये प्रतिवादी सं0-। ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-340 सीआरपीसी का पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने धारा-340 सीआरपीसी के प्रावधानों को समझे बिना अपना निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में लिख दिया कि दावा खारिज हो गया इसलिये अब धारा-340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र को प्रिमेच्योर बताकर खारिज करने में कानूनी भूल की है । दावा खारिज होने या डिक्री होने से अपराध पर कोई फर्क नहीं पड़ता है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई ध्यान गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र के प्रावधानों को बिना पढे बिना समझे अपना आदेश पारित किया है । जबकि जिला जजी में चले पूर्व दावा के अभिवचनों की सत्य प्रतियां तथा एस0 डी0ओ0 साहब के स्वयं की अदालत के अभिवचन सामने थे ।रेस्पोडेन्ट ने अपने जबाब में आरोपों से इन्कार नहीं किया है।इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपना निर्णय तथ्यों के विपरित दिया है ।अतः अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-340 सीआरपीसी स्वीकार किया जाकर विपक्षी रेणू केडिया के खिलाफ

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर

सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश कर आपराधिक प्रकरण चलाये ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया । यह पत्रावली पर मौजूद तथ्यों साबित है । अपर जिला जजी झुन्झुनू के न्यायालय में दर्ज मुकदमा सं0-139/2009 रेस्पोडेन्ट ने पेश किया था । इस दावे को स्वयं रेस्पोडेन्ट ने अदालत में हाजिर होकर अपने हस्ताक्षर कर खारिज करवा लिया जो दिनांक 11-8-2010 को खारिज हुआ है । रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र को निरस्त करने का दिनांक 7-1-2016 को जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद पेश करना बताया है जबकि रेस्पोडेन्ट ने स्वयं द्वारा अपर/जिला जजी न्यायालय झुन्झुनू में विक्रय पत्रों को निरस्त करने का पेश किया उसे स्वयं ने दिनांक 11-8-2010 को खारिज करवाया है । अब रेस्पोडेन्ट ने यह तथ्य मिथ्या दर्ज किया है कि उसे गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 7.01-2016 को हुई । रेस्पोडेन्ट का कृत्य न्यायालय को धोखा देना है। इस बाबत शपथ पत्र भी न्यायालय में पेश किया वह भी गलत है । न्यायालय में गलत मिथ्या शपथ पत्र पेश करने पर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध धारा-340 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होकर कार्यवाही होनी चाहिये अन्यथा इस प्रकार न्यायालय का डर ही खत्म हो जायेगा । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । रेस्पोडेन्ट ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं निरस्त करने विक्रय पत्र का पेश किया है जबकि दावे की सहायता की मद सं0-क" में विभाजन भी लिखा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे में मिथ्या कथन दर्ज किये है। इसके बाद भी अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि दावा खारिज हो गया । प्रार्थना पत्र प्रिमैच्योर होने के कारण स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाना न्यायोचित नहीं । अदालत मातहत का इस प्रकार का निर्णय निर्णय की परिभाषा में ही नहीं है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर योग्य अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत को आदेश दिया जावे कि वह रेणू केडिया के खिलाफ सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश आपराधिक प्रकरण चलाये ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।अपीलान्ट ने दावे के बाबत न्यायालय को गुमराह करने की नियत से दावे की गलत व्याख्या कर रहा है ।विवादित आराजी के बाबत जो विक्रय पत्र तस्दीक किये गये है उनकी प्रति न्यायालय की पत्रावली में शामिल है ।विवादित आराजी का दावा पति पत्नी के बीच का है । अपीलान्ट आयकर विभाग की कार्यवाही से बचने के बहाने रेस्पोडेन्ट जो अपीलान्ट की पत्नी है को बहकावे में लेकर विक्रय पत्र करवाये है ।जो विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0-1 द्वारा प्रतिवादी सं0-2, 3, व 4 के हक में करवाये है ।अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट पर बिना वजह दबाव बनाने के यह यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ।अपीलान्ट ने उक्त विक्रय पत्र का कोई प्रतिफल नहीं दिया है ।अदालत मातहत में अपीलान्ट ने ही रेस्पोडेन्ट को ले जाकर यह दावा करवाया है कि आयकर से बचने के लिये यह दावा किया जा रहा है। अपीलान्ट ने ही यह दावा रेस्पोडेन्ट/वादीया से करवाया है । अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट से पत्नी होने का नाजायज फायदा उठाकर यह सारी कार्यवाही की है । यह प्रार्थना पत्र भी रेस्पोडेन्ट पर दबाव बनाने के लिये पेश किया है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट की स्वअर्जित आराजी को हडपने के लिये यह सारी कार्यवाही कर रहा है ।इस बाबत रेस्पोडेन्ट को मालूम चलने पर अपीलान्ट पर एफ0आई0आर नं0 183/2010, 129/2010 पुलिस थाना महरोली (दिल्ली) में दर्ज करवाई थी। जिसमें अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को जरिये राजीनामा हडपी गई प्रोपर्टी को लौटाने का आवेदन कर मुकदमा वापस लिया गया था ।इसके बाद ही मालुम चला कि अपीलान्ट ने एक दूसरी महिला जोगेन्द्री कोर से विवाह कर लिया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र महज अदालत

को गुमराह करने के लिये पेश किया है । जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज किया है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण पति और पत्नी के मध्य है । जिसमें पत्नी का आरोप है कि पति अपीलान्ट ने ही उससे यह दावा केवल आयकर विभाग की कार्यवाही से बचने के लिये करवाया गया है तथा विक्रय पत्र भी बिना प्रतिफल के आयकर विभाग की कार्यवाही से बचने के लिये करवाया है ।अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र केवल प्रिमैच्योर होने के कारण खारिज किया है जिसमें प्रकरण के तथ्यो पर कोई विवेचन नहीं किया है ।अतः हम प्रकरण को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में सभी तथ्यों पर गौर कर अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 24-6-2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में सभी तथ्यों पर गौर कर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 10-01-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.11.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर